A 4/1

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 3/2022

बाबूलाल शर्मा पुत्र रामकुमार, जाति ब्राह्मण, निवासी देवरोड, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।
–– रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अ0धा0 75 राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बदालत तहसीलदार सूरजगढ, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं ( राज0 ) मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल शर्मा अ0धा0 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0 215/2021 आदेश दिनांक 28.12.2021

––

उपस्थितः–

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

## आदेश

दिनांक 03.03.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 28.12.2021 के विरूद्व मय प्रा0प0 प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नं0 490 रकबा 0.2600 है0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.0006 है0 भूमि सरहद मौजा देवरोड तहत तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 5/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अदालत अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनूं के यहां अपील उनवानी बाबूलाल शर्मा बनाम राजस्थान सरकार मुकदमा नं0 53/2021 प्रस्तुत की गई। उक्त अपील मे अदालत मातहत ने दिनांक 06.08.2021 को निर्णय पारित कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.07.2021 को निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय हेतु प्रेषित किया। इसके बाद अदालत मातहत ने उक्त बेदखली का निर्णय दिनांक 28.12.2021 को पारित कर दिया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश गैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। तथाकथित नपति रिपोर्ट एकपक्षीय है। अपीलान्ट के कब्जे का नाप मौके पर अपीलान्ट की मौजूदगी मे नही किया है। तथाकथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

अतिक्रमण की लम्बाई–चौडाई दर्ज नही की गई है। पटवारी हल्का/नायब तहसीलदार अतिक्रमण रिपोर्ट साबित करने के लिए अदालत मातहत के समक्ष बतौर साक्षी उपस्थित नही हुए। इस प्रकार अतिक्रमण साबित किये बिना ही अपीलान्ट को बेदखल करने के जो आदेश दिये है वे खारिज होने योग्य है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा है। अदालत मातहत ने कानून को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नं0 490 किस्म गै0मु0 रास्ता है जो कि वास्तविक रूप से रास्ते के रूप मे काम आ रहा है। वर्तमान मे गै0मु0 रास्ता चालू है। अपीलान्ट ने रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट अकेले के विरूद्व अतिक्रमी की कार्यवाही गलत रूप से की गई है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। पटवारी हल्का/नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को सही मानने का कोई आधार दर्ज नही किया गया है। अदालत मातहत ने अदालत अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 06.08.2021 मे दिये गये निर्देशों की पालना नही की है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका निरीक्षण नही किया। तथाकथित अतिक्रमण की स्पष्ट रूप से लम्बाई चौडाई दर्ज नही की गई है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एक सारवान बिन्दू उठाया था। कानून से जहां कोई सारवान बिन्दू अन्तर्वलित हो उस सूरत मे समरी प्रोसिडिंग के मार्फत कार्यवाही नही की जा सकती। अपीलान्ट के विरूद्व तथाकथित अतिक्रमण के बाबत कार्यवाही नियमित वाद के द्वारा ही हो सकती थी। इस कारण अतिक्रमण रिपोर्ट मे तथाकथित कब्जे के संबंध मे नया अथवा पुराना निर्माण के संबंध मे कोई तथ्य दर्ज नही किये है। इस प्रकार अदालत मातहत ने तथ्य व विधि को अनदेखा कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नही हुई है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि कि अपीलान्ट के विरूद्व दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। तथाकथित नपति रिपोर्ट एकपक्षीय है। अपीलान्ट के कब्जे का नाप मौके पर अपीलान्ट की मौजूदगी मे नही किया है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौडाई दर्ज नही की गई है। पटवारी हल्का/नायब तहसीलदार अतिक्रमण रिपोर्ट साबित करने के लिए अदालत मातहत के समक्ष बतौर साक्षी उपस्थित नही हुए। इस प्रकार अतिक्रमण साबित किये बिना ही अपीलान्ट को बेदखल करने के जो आदेश दिये है। जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से कब्जा है। अदालत मातहत ने कानून को नजरअंदाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। जमीन खसरा नं0 490 किस्म गै0मु0 रास्ता है जो कि वास्तविक रूप से रास्ते के रूप मे काम आ रहा है। वर्तमान मे गै0मु0 रास्ता चालू है। अपीलान्ट ने रास्ते पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। पटवारी हल्का/नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को सही मानने का कोई आधार दर्ज नही किया गया है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 06.08.2021 मे दिये गये निर्देशों की पालना नही की है। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने स्वयं मौका निरीक्षण नही किया। तथाकथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतिक्रमण की स्पष्ट रूप से लम्बाई चौडाई दर्ज नही की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर नही दिया गया। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम देवरोड स्थित विवादित भूमि ख0न0 490 रकबा 0.2600 है0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.0006 हैक्टर जो कि सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का कोई हक व अधिकार नही है। तहसीलदार सूरजगढ द्वारा टीम का गठन कर नायब तहसीलदार एवं पटवारियान के द्वारा जी0पी0एस0 मशीन से विवादित भूमि की नपति की गई है। मौके पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया गया है। अदालत मातहत अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील कोस्ट के साथ खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम देवरोड स्थित भूमि ख0न0 490 रकबा 0.2600 है0 किस्म गै0मु0 रास्ते मे से 0.0006 है0 भूमि का अतिक्रमी माना है। वकील अपीलान्ट द्वारा तर्क दिया गया है कि अदालत अति0 जिला कलक्टर, झुंझुनूं द्वारा अपील सं0 53/2021 उनवानी बाबूलाल शर्मा बनाम राजस्थान सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 मे प्रदत्त आदेशों की पालना पूर्ण रूप से नही की गई है। अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ को उक्त आदेश के अनुसार विवादित भूमि के मौके पर स्वयं जाकर विवादित भूमि की नपति अपीलान्ट की उपस्थिति मे करनी थी। अदालत मातहत द्वारा नपति से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस भी जारी नही किये गये है। अतः ऐसी स्थिति मे हम अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2021 को उचित नही मानते है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ अदालत मातहत को प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत तहसीलदार सूरजगढ स्वयं द्वारा अपीलान्ट की मौजूदगी मे विवादित भूमि की नपति कर अतिक्रमित भूमि का सीमाज्ञान करवाये। अपीलान्ट को अतिक्रमित भूमि की लम्बाई व चौडाई से अवगत कराते हुए अतिक्रमण भाग का माप बताये तथा फिर भी अतिक्रमण किया जाना पाया जावे तो अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:03 IST
Reason: SelfAttested

( एल0एस0कुडी )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं